03.11.2026

DAINIK SAVERA WELFARE FOUNDATION

दानी सज्जनों/संस्थानों की सूची

NAME	AMOUNT
PARAMJEET SINGH S/O SH. RAM SINGH, JALANDHAR	1100
MANDEEP SINGH S/O S. HARJINDER SINGH, JALANDHAR	1100
TOTAL	₹ 2,200
LAST BALANCE	₹ 1,55,900
GROSS BALANCE	₹ 1,58,100

1). नकद व ड्राफ्ट कार्यालय में सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक दें।
2). NEFT के लिए पंजाब नैशनल बैंक, इंडस्ट्रियल एरिया, जालंधर
A/c No. 0242000125574837, IFSC Code : PUNB0024200.
3). राशि ट्रांसफर 98885-03754 पर करके Whatsapp करें तथा अपना आधार या पैन नंबर साथ भेजें।

सहयोग यहां भेजें : 259, सवेरा भवन, लाजपत नगर, गुरु नानक मिशन चौक, जालंधर-144001

राहत वितरण में न हो कोई देरी, प्रभावित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगा कृषि मंत्रालय : शिवराज सिंह चौहान





सवेरा न्यूज, नई दिल्ली, 2 नवंबर : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देशभर में खरीफ फसलों की कटाई, मौजूदा मौसमी परिस्थितियों और रबी सत्र की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे, चक्रवाती प्रभाव और अनियमित वर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार-विमर्श करते हुए किसानों के हित में ठोस रणनीति बनाने के लिए निर्देशित करने के साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संकट के समय किसानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरती जाए और राहत कार्यों में प्रक्रियात्मक देरी बिल्कुल न हो। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव श्री अतीश चंद्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि देशभर में खरीफ फसलों की कटाई का काम चल रहा है। मूंग और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की कटाई अंतिम चरण में है। कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि कटाई के तुरंत बाद खेतों में उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग करते हुए रबी फसलों की बुआई को गति दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की सीमित उपलब्धता है, वहां किसानों को चना, सरसों, मसूर और मोटे अनाज जैसी कम पानी और कम लागत वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, तापमान के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जलवायु अनुकूल और गर्मी रोधी उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाए जाएं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चाहे वह अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हों या फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे सूखे से जूझ रहे राज्य, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार हर किसान के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनडीआरएफ के तहत क्षति के त्वरित आकलन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए ताकि किसानों को समय पर आर्थिक संबल मिल सके। आगामी चक्रवाती बारिश से बनने वाली नमी का लाभ भी रबी बुआई में उठाने के लिए आकस्मिक कार्ययोजना के अंतर्गत उन्होंने निर्देशित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि वे स्वयं स्थिति की हर हफ्ते समीक्षा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारों तथा मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद स्थापित कर किसानों की हर समस्या का त्वरित समाधान निकालेंगे।



PUBLIC NOTICE

"It may known to all that my client Shakra Begum W/o Mohd. Rafiq R/o E-646, Khasra No. 70 Gali No.4, Shri Ram colony Rajiv Nagar, Delhi-110094,debarred her son namely Mohd. Aarif from their all movable and immovable properties, and severed all the relation with him. due to disloyal towards the joint family, if any one deal with him in any manner, they are solely responsible for the same."

SHIVAM SHARMA (ADVOCATE)
CHAMBER NO. F325,
LAWYERS CHAMBER
BLOCK,KARKARDUMA
COURTS, DELHI

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि मेरे मुवक्किल श्रीमती कृष्णा कपूर पत्नी श्री इंद्रजीत कपूर, पता C–22, ईस्ट कृष्णा नगर, दिल्ली–110051, ने अपनी किसी भी संपत्ति के विषय में आज से पहले यदि कोई भी दस्तावेज़ हस्ताक्षर किये हों तो वह सभी दस्तावेज़ रद्द व निरस्त माने जाएँ (राहुल कपूर के नाम किये गए वाले छोड़कर) यह की मेरे मुवक्किल ने एक सार्वजनिक सूचना के द्वारा अपने पुत्र राहुल कपूर को अपनी सभी चल व अचल संपत्ति से बेदखल किया था वह सूचना भी रद्द मानी जाये, यह की मेरे मुवक्किल ने दिनांक 19.10.2026, को अपनी सभी चल व अचल संपत्ति की एक वसीयत (Regd.) कर दी है और यही मेरे मुवक्किल की आखरी वसीयत है।

इंद्र कुमार कथुरिया
अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट
मोबाइल 9810130309

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Vanita Chawla W/o Late Shri Ramesh Chawla R/o A-10 Model Town Delhi and Savita Widge D/o Late Shri Dev Raj Widge R/o. Q-22 Model Town Delhi, are the Joint Owners of the Prop. No. Q-22, Model Town, Delhi- 110009. If any person(s), bank, or institution having any claim, right, or objection in respect of the said property by way of sale, mortgage, gift, or otherwise, should notify the undersigned in writing with supporting documents within 30 days of this notice. If no objection is received, it shall be deemed that no such claim exists and the title is clear.

Contact: Adv. Naman Tuteja, 9899909299

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित दस्तावेज खो/गुम हो गए हैं:

श्री रामा नंद सिंह द्वारा श्रीमती ममता सिंह के पक्ष में निष्पादित मूल वसीयत (Original WILL), जो आवासीय ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर (बिना छत के अधिकारों के), क्षेत्र 58 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 3/434, सेक्टर-3, आवासीय कॉलोनी वसुंधरा, गाजियाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पर निर्मित संपत्ति से संबंधित है।

श्री महेश कुमार और श्री मुकेश कुमार संपत्ति के मालिक होने का दावा करते हैं और उन्होंने इसे श्री आदित्य शर्मा को बेचने पर सहमति व्यक्त की है। अब, श्री आदित्य शर्मा ने उक्त संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण के लिए दुहोम फाइनेंस लिमिटेड (Truhome Finance Ltd.) से संपर्क किया है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त गुमशुदा मूल वसीयत के बारे में कोई जानकारी मिली है/कब्जा है/जानकारी है, या उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई दावा/अधिकार/शीर्षक है, तो 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में विकास शौकीन, एडवोकेट, एच-20, बेसमेंट, बाली नगर, नई दिल्ली- 110015 को सूचित करें। उसके बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पीवीआर लॉ एसोसिएट्स
(PVR LAW ASSOCIATES)
Office: H-20, Basement,
Bali Nagar, New Delhi-110015

PUBLIC NOTICE

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमती सुनीता (पत्नी अशोक कुमार) और अशोक कुमार (पुत्र राम अवतार), निवासी RZ-440 1/5, गली नंबर 19, साध नगर, पालम कॉलोनी, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली-110045 ने अपने बेटों - निखिल कुमार (पत्नी अर्चना), नितिन कुमार (पत्नी भानुप्रिया) और नितेश कुमार (पत्नी प्रिया चौहान) तथा उनके बच्चों को अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया है। उनके बेटे अब उनके नियंत्रण में नहीं हैं और उन्होंने उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं, क्योंकि वे मेरे मुवक्किलों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे और उन्हें परेशान करते थे। मेरे मुवक्किल उनके किसी भी कार्य या गतिविधि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।

ANITA SINHA (ADVOCATE)
Off:C-68-50, Chanakya Place,
Uttam Nagar, New Delhi-69

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री किशन लाल नागपाल पुत्र स्वर्गीय श्री द्वारका नाथ नागपाल, एक वाणिज्यिक दुकान (Commercial Shop) के स्वामी हैं, जो भूतल (Ground Floor) पर स्थित है तथा जिसका नंबर H-13, क्षेत्रफल 25.08 वर्ग मीटर है। उक्त संपत्ति चंदर नगर की आबादी, वार्ड नंबर 78, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली-51 में स्थित है। उक्त संपत्ति श्री लेख राज, (2) श्री सुधीर सहगल एवं (3) श्री सुंदर लाल सहगल, तीनों पुत्र स्वर्गीय श्री राम लाल द्वारा निष्पादित दिनांक 08.09.2017 के विक्रय विलेख (Sale Deed) के माध्यम से क्रय की गई थी, जो उप-पंजीयक कार्यालय संख्या VIII, नई दिल्ली/दिल्ली में दिनांक 08.09.2017 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 8746, पृष्ठ संख्या 180 से 188, दस्तावेज संख्या 4958 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है। उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रय विलेख निष्पादित करने वाले सभी विक्रेताओं ने उक्त संपत्ति का स्वामित्व दिनांक 16.02.1988 को श्री राम लाल पुत्र स्वर्गीय श्री तेज भान द्वारा (1) श्री लेख राज सहगल, (2) श्री सुंदर लाल सहगल एवं (3) श्री सुधीर कुमार सहगल, तीनों पुत्र श्री राम लाल के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा (Will Deed) के माध्यम से प्राप्त किया था। अब उक्त संपत्ति को ECL Finance Limited के पक्ष में बंधक (Mortgage) किया जा रहा है। अतः यदि किसी भी व्यक्ति का उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभार, हित, स्वामित्व अधिकार अथवा दावा है या किसी प्रकार का विवाद है, तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 5 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रूप में सूचित करें।

दीपांशु शर्मा (अधिवक्ता)
कार्यालय का पता: 12 A 14, S3 टावर,
ऋषभ क्लाउड 9, वैशाली, उत्तर प्रदेश–201010

PUBLIC NOTICE

This is to inform public at large that my client Krishan Kumar S/o Shalik Ram both resides Plot No. D-6, Prem Nagar-2, 70 Fit Road, Kirari Suleman Nagar, Nithari North West Delhi, Sultanpuri C Block, Delhi-110086 has severed all his relations with their Son namely Rahul disowned and debarred them from all his moveable and immoveable properties, due to misconduct/ misbehaviour towards my client. My client has no concern with them. Anybody deals with them shall do so at his own risk, and responsibility. My client shall not be responsible for their any act and deed in future.

ADV. RASHID
(ADVOCATE) CH No. P9A, Post Office
Lane Tis Hazari Court

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण सुरेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल एवम् सुमन पत्नी सुरेन्द्र सिंह निवासी म० नं0 17, गांव मुकुन्दपुर, हरिजन कॉलोनी, बादली, नॉर्थ वैस्ट, दिल्ली-110042 ने अपने पुत्र "अभिषेक एवम् उसकी पत्नी रोशनी" के द्वारा मेरे मुवक्किलगण से दुर्व्यवहार करने, लड़ाई झगडा करने व नियन्त्रण से बाहर होने के कारण इन्हें अपनी समस्त चल-अचल संम्पत्ति से बेदखल कर अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर रिश्ते-नाते तोड लिये है, कोई भी व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का व्यवहार / लेन-देन, दीवानी व फौजदारी मुकदमा आदि करता है तो उसका वे स्वंय जिम्मेदार होंगे मेरे मुवक्किलगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

RAVI LOHAT(ADVOCATE)
DELHI HIGH COURT
CH NO. :- 1312, LAWYERS CHAMBER
BUILDING, ROHINI COURT ROHINI,
DELHI-110054,

आवश्यकता है NIMT इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज कॉलेज ग्रेटर नोएडा में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत BBA एंड BCA पाठ्यक्रम में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु आवेदन आमंत्रित है | दिनांक 02-11-2026 से 20-11-2026 तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा कराये या महाविद्यालय की ईमेल आईडी info@nimt.ac.in पर भेज दें |

नोट : वेतन एंड योग्यता नियमनुसार

Public Notice

I SONIA GADH D/o ARJUN DEV, have Lost/Misplaced my property original Allotment Letter Certificate No - JGNKPA060701 dated 07/05/2010 Unit number KPA0060701 of Jaypee KENSINGTON PARK APARTMENTS, Tower - 06, Sector - 133, G.B. Nagar, Uttar Pradesh - 201304. If found please contact on 9810121974.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. Deepak Lohchab S/o Mahender and Poornima Lohchab W/O Sh. Deepak Lohchab R/o F6, 2nd floor Gali no 33, Mahindra park, Adarsh Nagar, po N.S. mandi,north west Delhi-110033, do hereby disinherit & disown their son Nishchay Lohchab S/o Sh. Deepak Lohchab R/o F 6, 2ND floor Gali no 33, Mahindra park, Adarsh Nagar, po N.S. mandi north west Delhi-110033 from all their moveable and immovable properties and also disown her from all social and personal relations with him for all time to come. The aforesaid son is harassing my client physically, mentally and economically and therefore, if anyone deals with her in any manner whatsoever including any commercial transaction, they shall do so at their own risks and responsibilities and my client shall not in any way/manner be held liable /responsible for any acts and deeds of the aforesaid persons.

DURGA SINGH BANGARI (ADVOCATE)
Ch.No.507,, FF, Western Wing, Tis Hazari
Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Imperial Service Development Society (ISDS)a Notational Level NGO.Under CSR fund intends to procure items forInstallation of 71 Solar High Mast Street Lights in Fatehgarh Sahib District, Punjab.Complete bids shall reach by 11/11/2026 at C-1250,DDA Flats, East of Loni Road, Shahdara, Delhi-110093, ISDS NGO reserves the right to reject any or all bids without assigning any reason thereof. Detailed specs and tender documents may collected from our office before closing date time 10 Nov. 2026 before 5 pm.

Executive Director
Imperial Service Department Society
www.isdsngoindia.org
Info@isdsngoindia.org
isds.ngo2007@gmail.com
9717973878

PUBLIC NOTICE

My client SH. SATYA DEV S/O SH. RATAN LAL, R/O T-14, CIGARETTE WALA BAGH, T-HUTS, PUMBARI ROAD, MODEL TOWN, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 has severed all his family relations with his son SH. SANNI (DOB: 01.01.2006) and disowned him from his movable and immovable property. My client shall not be responsible for any of his son's personal acts, criminal activities, debts, financial transactions or legal liabilities. Anyone dealing with him shall do so at their own risk and consequences.

MANPREET SINGH (ADVOCATE)
Ch. No. L-14A, Ist Floor. L- Block, Tis
Hazari Courts, Delhi-110054.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री तेजवीर, मकान संख्या RZ-F-80/1, क्षेत्रफल 68.97 वर्ग मीटर, जिसमें केवल भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल निर्मित है, खसरा संख्या 85/24/0 (जबकि संपत्ति के दस्तावेजों में खसरा संख्या 85/24 एवं 85/18 अंकित है), स्थित ग्राम नांगलोई जाट, अनधिकृत कॉलोनी निहाल विहार फेज–1, ब्लॉक–A, B, C, D, E, F, G, H, Q, S, K, I, K2, नांगलोई जाट, दिल्ली–41 के मालिक है। उक्त संपत्ति श्री तेजवीर द्वारा दिनांक 14.10.2026 को राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से पीओआई द्वारा निष्पादित एवं उप–पंजीयक कार्यालय नांगलोई जाट में पंजीकरण संख्या 2026/79/1/399 के अंतर्गत पंजीकृत पंजीकृत हस्तांतरण विलेख (कन्वेयंस डीड) के माध्यम से प्राप्त की गई है। उक्त संपत्ति को फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास बंधक रखा जाना प्रस्तावित है। अतः किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा, अधिकार, हक, ग्रहणाधिकार अथवा कोई अन्य आपत्ति हो, तो वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने दावे एवं आपत्ति के समर्थन में समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी / अधिवक्ता विशाल मेहन, ई–713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली–110092 के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें। निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा, आपत्ति अथवा लियन प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था ने अपने सभी दावों, अधिकारों एवं आपत्तियों का परित्याग कर दिया है। एडवोकेट विशाल मेहन, ई–713, कड़कड़ डूमा कोर्ट, दिल्ली–110092, मोबाइल नं. 9811215181

MCG MUNICIPAL CORPORATION of GURUGRAM — NURTURING GURUGRAM

PUBLIC NOTICE

[Under the proviso to section 217(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994]

INVITING OBJECTIONS/ SUGGESTIONS ON THE PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF A PART OF THE PUBLIC STREET IN KHASRA NO. 764, VILLAGE NATHUPUR, GURUGRAM

1. Notice is hereby given that the Municipal Corporation Gurugram has under consideration a proposal, under section 217(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, for the permanent closure of approximately 2.00 acres (8,141 sq. metres) of the land comprised in Khasra No. 764, Village Nathupur, Tehsil and District Gurugram (total area approx. 5.38 acres, recorded as "Gair Mumkin Rasta"), and for the re-planning of the remaining portion as an 18.00-metre-wide public road, maintaining access to the Government School and the adjoining areas.
2. The detailed notice, along with the existing and re-planned layout plans, is available on the website of the Corporation at https:// www.mcg.gov.in/ and may be inspected on any working day during office hours at the office of the Senior Town Planner, MCG office, Plot No. C-1, Info City, Sector-34, Gurugram.
3. Residents likely to be affected and other concerned persons may submit their objections/ suggestions in writing to the Commissioner, Municipal Corporation Gurugram, at the above address or by e-mail at cmc@mcg.gov.in & stp@mcg.gov.in , **within one month from the date of publication of this notice, i.e. up to 5:00 PM on 30.11.2026**. Objections received thereafter shall not be considered.

Date: 31.10.2026

Commissioner
Municipal Corporation Gurugram

DPR HRY 1078/11/1150/2027/50710/C/608/7

MUNICIPAL CORPORATION GURUGRAM, Plot No. C-1, Info City, Sector-34, Gurugram

साल भर से अटके वेतन को लेकर अनुबंध कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, काम ठप कर दी काली दिवाली मनाने की चेतावनी

सवेरा न्यूज हरिकृष्ण भिवानी, 2 नवम्बर : समय से वेतन न मिलने और ईएसआई कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर्मचारियों के सब्र का बांध आखिरकार टूट पड़ा। पेंडिंग सैलरी के भुगतान की मांग को लेकर भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे अनुबंध कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोमवार सुबह 9 से 11 बजे तक दो घंटे का वर्क सस्पेंड रखकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि दिवाली से पहले उनके खून-पसीने की कमाई का भुगतान नहीं हुआ, तो वे इस बार काली दिवाली मनाने को मजबूर होंगे और आंदोलन को आमरण अनशन या भूख हड़ताल में तब्दील कर देंगे। इस मौके पर यूनियन के जिला प्रधान दीपक तंवर ने अपनी व्यथा और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कर्मचारियों की करीब साढ़े तीन महीने की सैलरी पिछले एक साल से पेंडिंग पड़ी है। उन्होंने तीखे लहजे में सवाल उठाया कि अगर बड़े अधिकारियों या सरकार में बैठे लोगों का एक महीने का वेतन रुक जाए तो वे परेशान हो जाते हैं, फिर गरीब कर्मचारियों के घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? उन्होंने कहा कि परिवार चलाने में हद से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी केवल अपनी मेहनत की सैलरी और ईएसआई कार्ड का हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं। प्रधान दीपक तंवर ने प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर रोष जताते हुए कहा कि वेतन बकाया हुए पूरा एक साल बीत चुका है। पिछले साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 19 दिनों का वेतन आज तक अटका हुआ है, जिसके चलते प्रत्येक कर्मचारी का 65 से 70 हजार रुपये तक का भुगतान बाकी है।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, (हिसार)

पत्र क्रमांक नं. - 391-5A दिनांकः 30.10.2026 चौकी अनाज मण्डी थाना शहर हिसार

नामः नाम-पता नामालुम

पताः भुमी आश्रम अनाज मण्डी हिसार ।

पहचानः बाहद रकबा भुमी आश्रम अनाज मण्डी हिसार नाम-पता नामालुम लाश मिली है जिसके सिर पर छोटे बाल व छोटी-छोटी सफेद दाढ़ी, उम्र लगभग 65 साल कद 5 फुट 7 इंच है



यदि किसी सज्जन को इनके बारे में पता चले तो कृपया निम्न फोन नंबर पर सूचित करें:

प्रबंधक थाना
थाना शहर हिसार 8814011306
चौकी अनाज मण्डी 8814011318
पुलिस कंट्रोल हिसारः 01662-237150, 8814012342
अनुसंधानकर्ता - 8168607245

DPR HRY 1084/11/5558/2027/50707/608/7

AXIS BANK एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टावर टी-2, दूसरी मंजिल, I-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (यू.पी.)-201301. पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल" तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

परिशिष्ट IV नियम - 8(1) देखें] कब्जा नोटिस (अचल संपति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 08.06.2026 को डिमांड नोटिस जारी कर मेसर्स नामधारी इंडस्ट्रीज, श्री गुरमोहन सिंह, श्री कूका सिंह और श्री करतार सिंह (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर) को 80,74,442/- रुपए (केवल अस्सी लाख चौहत्तर हजार चार सौ बयालीस रुपए) में उल्लिखित राशि, जो कि दिनांक 01.06.2026 को देय राशि है, उस पर ब्याज और लागत सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। ऊपर वर्णित ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं)/बंधक(ओं)/गारंटर(ओं) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं)/बंधक(ओं)/गारंटर(ओं) और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत पुरुष/महिला को प्रदत शक्तियों के साथ सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ 31.10.2026 को नीचे वर्णित संपति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं)/बंधक(ओं)/गारंटर(ओं) और आम जनता को एतद्द्वारा संपतियों से कोई व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि रुपए 80,74,442/- (केवल अस्सी लाख चौहतर हजार चार सौ बयालीस रुपये) 01.06.2026 को देय राशि, साथ ही भुगतान की तिथि तक अनुबंधात्मक ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज और उस पर होने वाले व्यय हैं।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपति का विवरण संपति का वह सभी हिस्सा जिसमें शामिल हैं:

प्लॉट/यूनिट नंबर खता नंबर 1565 खसरा नंबर 1641 //1(0-9), 1042 (1-6) किता 2 Mie पार्ट B बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा 124507 का पूरा हिस्सा, साथ ही उस पर बनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, फिक्स्चर, फिटिंग और सभी प्लांट और मशीनरी जो जमीन से जुड़ी हैं या जमीन से जुड़ी किसी भी चीज से पक्की तौर पर जुड़ी हैं, चाहे वह अभी हो या आगे। नीचे दिए गए तरीके से घिरा हुआ है : पूरब : प्लॉट 22 फीट 0 इंच, पश्चिम : 25 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : अमनदीप का प्लॉट, दक्षिण : असिग कपूर का प्लॉट कृपया ध्यान दें कि जैसा कि ऊपर बताए गए एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन 13 में बताया गया है, आप हमारे बैंक की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना इस नोटिस में सिक्योरिटी के तहत बताई गई किसी भी एसेट को बेचने, लीज पर देने या किसी और तरह से ट्रांसफर नहीं करेंगे।

दिनांकः 31.10.2026, स्थानः झज्जर, हरियाणा — **प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

एम-167, एम ब्लॉक, विकासपुरी

दिनांक 20.11.2026 को होने वाली ई-नीलामी हेतु पुनर्विक्रय सूचना

परिशिष्ट- IV-A" [नियम 9(1) का प्रावधान देखें, अचल संपतियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों/चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता और खास तौर पर बॉरोअर(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टी/मूवेबल एसेट्स, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास मॉर्टगेज/चार्ज्ड हैं, और जिनका कब्जा इंडियन बैंक, सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ले लिया है, उन्हें बकाया रकम की रिकवरी के लिए 20.11.2026 को "जैसा है, जैसा है", "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। ई-नीलामी मोड से बेची जाने वाली प्रॉपर्टीज की खास जानकारी नीचे दी गई है:

दिनांक 20.11.2026 को नीलाम की जाने वाली संपत्तियों/परिसंपत्तियों का विवरण (पुनर्विक्रय हेतु 15 दिनों की सूचना)

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) का नाम/शाखा का नाम	संपर्क व्यक्ति एवं मोबाइल नंबर	मार्टगेजर(ओं)/ गारंटर का नाम	अचल संपत्ति/संपत्तियों/चल परिसंपत्तियों का विवरण	भौतिक/ प्रतीकात्मक कब्जा	दिनांक ... तक सुरक्षित ऋण की राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
	1. श्री राकेश रंजन / श्रीमती निशा सिंह रंजन शाखा : विकासपुरी	श्री गौरव गौतम मोबाइल नंबर : 7988339641	1. श्री राकेश रंजन (उधारकर्ता एवं मार्टगेजर) 2. श्रीमती निशा सिंह रंजन (उधारकर्ता एवं मार्टगेजर), पत्नी श्री राकेश रंजन	ग्राम मटियाला, ओम विहार एक्सटेंशन, उत्तम नगर, दिल्ली में स्थित आवासीय फ्लैट, तृतीय तल, ई-100, निजी तल 303, खसरा नं. 7/18, जिसका क्षेत्रफल 527.436 वर्ग फुट है। सीमाएं :पूर्व : उक्त संपत्ति का हिस्सा, पश्चिम : संपत्ति का हिस्सा, उत्तर : संपत्ति का हिस्सा, दक्षिण : 10 फुट चौड़ी गली संपत्ति पहचान : IDIB3208400945	भौतिक कब्जा	रु. 15.61 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्च (दिनांक 10.02.2026 तक)	रु. 25.50 लाख	रु. 2.55 लाख / रु. 0.05 लाख
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	20.11.2026 को प्रात : 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। न्यूनतम बोली वृद्धि राशि ऊपर उल्लिखित अनुसार होगी।							

बोलीदाताओं को ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारी ई-नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.baanknet.com) पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया 8291220220 पर कॉल करें। पंजीकरण की स्थिति एवं धरोहर राशि (ईएमडी) की स्थिति के लिए कृपया support.baanknet@psballiance.com पर ईमेल करें।

संपति के विवरण, संपति के छायाचित्र तथा नीलामी के नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट : https://www.baanknet.com पर जाएं। इस पोर्टल से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। संपर्क नंबर : 8291220220।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे https://www.baanknet.com वेबसाइट पर संपति की खोज करते समय ऊपर उल्लिखित संपति पहचान संख्या का उपयोग करें।

प्रॉपर्टी का BAANKNET क्यूआर कोड

दिनांकः 29.10.2026 । स्थानः नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं. : ईपीडी/डब्ल्यू/कॉन/5400/टीएफपी/01/26–27 कांचरापाड़ा, दिनांक 27.10.2026, उप मुख्य विद्युत अभियंता (पी एंड डी), पूर्व रेलवे, कांचरापाड़ा, उत्तर 24 परगना, डाकघर–कांचरापाड़ा, पिन–743145 द्वारा प्रमाणित अनुभवी ठेकेदार से पूर्व रेलवे, कांचरापाड़ा वर्कशॉप में निम्नलिखित कार्य हेतु खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सं.: ईपीडी/ डब्ल्यू/कॉन/ 5400/ टीएफपी/ 01/26–27, कार्य का नाम एवं स्थान :** इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के 5400 केवीए ट्रांसफॉर्मर (कॉपर कॉइल) का पुनरुद्धार (रिहैबिलिटेशन), मात्राः 32 अदद। **कार्य का अनुमानित मूल्य :** रु. 6,67,05,945/–, **निविदा प्रपत्र का मूल्य :** शून्य। जीसीसी–अप्रैल 2022 के तहत पार्ट–I के क्लॉज सं. 3 के अनुसार, ई–निविदा प्रपत्र सभी निविदाकारों को निःशुल्क जारी किया जाएगा। **कार्यालय का पता जहाँ से ई–निविदा शुरू की गई है :** उप मुख्य विद्युत अभियंता/प्लानिंग एवं डेवलपमेंट/पूर्व रेलवे/ कांचरापाड़ा वर्कशॉप, पिन–743145 का कार्यालय। **ई–पेमेंट गेट वे या बैंक गारंटी बॉण्ड के माध्यम से बोली प्रतिभूति की राशि जमा की जाएगी:** रु. 13,34,200/–, रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2022/ सीई–I/सीटी/जीसीसी–2022/पॉलिसी दिनांक 27.04.2022 (एडवांस करेक्शन स्लिप नं. 5, दिनांक 20.10.2023) के अनुसार; निविदाकार उक्त राशि की बोली प्रतिभूति बैंक गारंटी बॉण्ड के रूप में भी जमा कर सकते हैं। **मूल बैंक गारंटी उप सीईई/पी एंड डी/कांचरापाड़ा के पास बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए (अर्थात बोली जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर)।** बीजी बॉण्ड का प्रारूप जीसीसी–अप्रैल 2022 में उल्लेख किया गया है। निविदाकारों से अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जीसीसी–अप्रैल 2022 (संशोधनों के साथ) का अनुसरण करें। **कार्य की समापन अवधि : 24 (चौबीस) माह। बोली जमा करने की प्रारंभिक तिथि :** दिनांक 04.11.2026 से, **बोली जमा करने की अंतिम तिथि :** दिनांक 18.11.2026 को 14.45 बजे तक। **निविदा के खुलने की तिथि और समय :** निविदा दिनांक 18.11.2026 को 15.00 बजे खोली जाएगी। वेबसाइट का विवरण एवं सूचना पट का स्थान जहाँ निविदा का संपूर्ण विवरण देखा जा सकता है:**http://www.ireps.gov.in**

MISC-250/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

हर जरूरतमंद तक कानूनी सहायता पहुंचाएगी जागरूकता मोबाइल वैन : सीजेएम

सवेरा न्यूज हरिकृष्ण भिवानी, 2 नवम्बर : प्रत्येक व्यक्ति को उसके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), भिवानी द्वारा कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण की चेयरमैन डॉ. गगनदीप कौर सिंह के मार्गदर्शन मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार ने जिला न्यायालय परिसर से जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस दौरान सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि मोबाइल वैन के माध्यम से जिले के विभिन्न गांवों में नवम्बर माह में कानूनी जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।

इसके तहत कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन पैनल अधिवक्ताओं तथा अधिकार मित्रों (पैरा लीगल वालंटियर्स) द्वारा किया जाएगा।उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को खरकखड़ी, मनफरा और बुढेड़ा, 18 को सिरसी, चहड़ खुर्द और चहड़ कलां, 19 को बहल, सुरपुरा खुर्द और सुरपुरा कलां तथा 20 को गांव भानगढ़, लेघा और हेतमपुरा गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे।

pnb पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, दक्षिण दिल्ली
4वां तल, 7 पी.एन.बी. हाऊस भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली–110066 ईमेलः cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक / सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, की बिक्री नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **"जहाँ है जैसा है"**, **"जो है जैसा है"**, तथा **"जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक / सुरक्षित लेनदार के बकाये की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में दर्शानुसार होगी।

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

Sr. No.	शाखा का नामः / खाते का नामः / उधारकर्ता / गारंटर / खाते का नाम और पताः	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण / मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) मांग नोटिस के अनुसार राशि (C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक / रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	पीएनबी शाखा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (037110) **मैसर्स न्यू कृष्णा स्टील्स, प्रोपराइटर–रविंदर सिंह** प्लॉट नंबर–156–157, इकोटेक एक्सटेंशन, प्रथम, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201308 **इसके अलावाः श्री रविंदर सिंह,** मकान नंबर–बी–80, गामा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201308 **इसके अलावाः श्री रविंदर सिंह,** मकान नंबर–100, न्यू माता मंदिर, फ्रेंड्स कॉलोनी, पूर्वी, नई दिल्ली–110025 **श्रीमती बेबन पत्नी स्वर्गीय हरेंद्र (उधारकर्ता),** मकान नंबर–बी–80, गामा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201308 **इसके अलावाः** 297, दादूपुर डंकौर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203201	आवासीय मकान नंबर–80, ब्लॉक–बी, सेक्टर गामा–01, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का समस्त भाग एवं अंश, जो बेबन पत्नी स्वर्गीय हरेंद्र के नाम पर है।	A) 22.04.2025 B) 61.54 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार C) 04.09.2025 D) सांकेतिक	A) रु. 334 लाख B) रु. 33.40 लाख C) रु. 100000/-	23.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	कोई एस.ए. फाइल नहीं की गई है और संपत्ति की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220), द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन / प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों / वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध / प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75: जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : **02.11.2026**, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार